पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 447/अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 20/01/2009

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपात बैठक शनिवार, दिनांक 17 जनवरी, 2009 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. ए.आर. चंद्राकर, कुलाधिसचिव	–	सदस्य
3.	डॉ. गौरीशंकर	–	सदस्य
4.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
5.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
6.	डॉ. एस.जे. केकरे	–	सदस्य
7.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
8.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	–	सदस्य
9.	श्री राम खिलावन गुप्ता	–	सदस्य
10.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :–

विषय क्र. 1 गोपनीय–मुद्रण के भुगतान के संबंध में विचार किया गया।

टीप : दिनांक 17.01.2009 कार्यपरिषद् की आपात बैठक में कुलसचिव द्वारा मुद्रक को दिनांक 30.12.2008 पत्र क्रमांक 268/कु.स./2008 पर चर्चा हुई।

इस पत्र को मुद्रक के तथा–कथित प्रतिनिधियों ने दिनांक 15.01.2009 को कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया था। कुलपति जी ने मुद्रक को भुगतान में देरी होने का कारण पूर्व वर्षों 2005–06 एवं 2006–07 के गोपनीय मुद्रण का ऑडिट न होना बतलाया, उन्होनें यह भी बतलाया कि 19.12.2008 की बैठक में निर्णय लिया गया था कि पिछले वर्षों (सत्रों) के 2005–06 एवं 2006–07 के ऑडिट होने के पश्चात् ही गोपनीय मुद्रण के भुगतान किये जाने के निर्णय लिये गये थे।

चर्चा के दौरान उपरोक्त प्रतिनिधि ने मुद्रक के वास्ते हस्ताक्षर कर 15 प्रतिशत छूट देने की बात लिखित रूप में दिया, जिसे दिनांक 16.01.2009 के पत्र में इसी वास्ते

प्रतिनिधि ने पत्र द्वारा लिखकर यह सूचित किया कि "छूट देने संबंधी वित्तीय मामले में मैं अधिकृत नहीं हूँ" कुलसचिव महोदया ने बैठक के दौरान यह सूचित किया कि दिनांक 16.01.2009 के फैक्स (गोपनीय मुद्रक के द्वारा) यह सूचित किया गया कि उन्होनें अपने प्रतिनिधि को भुगतान संबंधी रियायत के लिए अधिकृत नहीं किया है।

निर्णयः [1] कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि गोपनीय मुद्रक को तत्काल उपस्थित होने कहा जाय एवं मुद्रक से इस संदेहास्पद स्थिति से अवगत् कराने पश्चात्, संदेहास्पद व्यक्ति के पत्रों के संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाय एवं आवश्यकता होने पर आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी किया जाय।

[2] मुद्रक को बुलाकर कार्यपरिषद् की आपातिक बैठक 19.12.2008 के संबंध में एवं आज की बैठक (दिनांक 17.01.2009) के संबंध में जानकारी देने के पश्चात् 75 प्रतिशत् भुगतान, इनकम टैक्स काटकर, रेखांकित धनादेश अथवा क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि कुलसचिव द्वारा 30 दिवस के अंदर 2005–06 एवं 2006–07 का ऑडिट कराया जाय। शेष राशि 25 प्रतिशत् का भुगतान ऑडिट कराने के पश्चात् किया जाय।

माननीय कुलपति जी द्वारा अतिरिक्त बिन्दु नोटशीट में लिखित में अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जो निम्नानुसार है –

कुलपति जी द्वारा कार्यपरिषद् में निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई थी :–

(1) श्रीमती ममता शर्मा का रिजल्ट घोषित करने से इंकार एवं कार्यपरिषद् के कार्यवृत्त में इस प्रकरण को न लिखा जाना। परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने पर प्रोफेसर एस.के. जाधव को नोटिस देना, जो कि गम्भीर विषय है। कार्यपरिषद् में श्रीमती ममता शर्मा के परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

(2) कार्यपरिषद् की दिनांक 19.12.2008 की बैठक में कुलपति जी ने सदस्यों के सामने गोपनीय मुद्रक के 2007–08 के लंबित भुगतान के बारे में सूचित किया था कि चूंकि सत्र 2005, 2006 एवं 2007 के भुगतानों का ऑडिट नहीं कराया गया है और मेरा कार्यकाल दिनांक 6 अप्रेल, 2009 को खत्म हो रहा है, पूर्व वर्षों के ऑडिट के बाद ही 2008 सत्र का भुगतान किया जावेगा। सदस्यों ने ऑडिट के बाद भुगतान किये जाने के मत को सही माना था। कार्यवृत्त में इसे नहीं लिखा जाना, कार्यपरिषद् के कार्यवृत्त को, सही ढंग से नहीं प्रस्तुत करना गंभीरता से लिया गया।

(3) कुलसचिव महोदया ने सूचित किया कि मुद्रक से अप्रेल 07 माह, में अनुबंध किया गया, जबकि (परीक्षा) सत्र 2006–07 की परीक्षाएं दिनांक 12 मार्च 2007 को शुरू हो गई थी। कार्यपरिषद् के सदस्य द्वय डॉ. शलभ तिवारी एवं डॉ. एस.जे. केकरे ने इस आपत्ति उठाई। मुद्रक से किये अनुबंध को प्रस्तुत करने को कहा गया, इस पर उन्होनें

(कुलसचिव महोदया ने) कहा कि आलमारी की चाबी उनके पास नहीं है, इसलिये प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

(4) निर्णय लिया गया कि मुद्रक को तत्काल बुलाकर कुलपति जी के समक्ष चर्चा की जाय।

कुलपति | **कुलसचिव**

अध्यक्ष | **सचिव**

पृ.क्रमांक 4477 /अका./का.प./2009 | रायपुर, दिनांक : 20/01/2009

प्रतिलिपि :

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण
4. वित्ताधिकारी/आवासीय अंकेक्षण
5. समस्त विभागीय अधिकारी– अपने–अपने विभाग से संबंधित प्रकरण पर निर्णयानुसार कार्रवाई कर 15 दिनों के अंदर पालन प्रतिवेदन भेजने का कृपया कष्ट करें।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहाय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)